

वित्त विभाग द्वारा
अनौपचारिक रूप
से परामर्शित।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

अरूण प्रकाश,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना-15, दिनांक.....

विषय:- राज्य के व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर ₹11,95,442/- (ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रुपये) मात्र के वार्षिक व्यय भार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 01 (एक) पद का सृजन।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के ज्ञापांक-40307-08 दिनांक 20.07.2015 में राज्य में नौ जिला न्यायालय एवं सत्रह अनुमंडलीय न्यायालयों के नवगठन के आलोक में तथा व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण कार्य की दैनिक प्रगति का जिलों के नोडल पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 02 (दो) पदों के सृजन की अनुशंसा प्राप्त थी।

2. उक्त अनुशंसा पर सम्यक विचारोपरांत व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण कार्य की दैनिक प्रगति का जिलों के नोडल पदाधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावी अनुश्रवण हेतु महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्र सह संलग्न विवरणी में अंकित पद संवर्ग के सम्मुख अंकित वेतनमान में ₹11,95,442/- (ग्यारह लाख पिचानबे हजार चार सौ बयालीस रुपये) के वार्षिक तथा न्यायिक सेवा संवर्गों में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत भत्तों के अनुमानित व्यय भार पर गैर योजना मद में स्थायी रूप से नियमित आधार पर असैनिक न्यायाधीश वरीय कोटि या असैनिक न्यायाधीश कनीय कोटि (पाँच वर्ष के अनुभव के साथ) में विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 01 (एक) पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है। सृजित पद के विरुद्ध पदस्थापित न्यायिक पदाधिकारी माननीय स्टीयरिंग कमिटी तथा निबंधक (आई0टी0), उच्च न्यायालय, पटना के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।

3. उपर्युक्त सृजित किये जाने वाले पद का व्यय-बजट शीर्ष "2014 न्याय प्रशासन-लघु शीर्ष-105 सिविल और सेशन न्यायालय उपशीर्ष-0001 सिविल और सत्र न्यायालय के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते मद से वहन किया जाएगा, जिसका विपत्र कोड सं०-"N-2014001050001" होगा तथा संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश इसके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. इसमें प्रशासी पद वर्ग समिति की स्वीकृति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक:-व्यय विवरणी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरूण प्रकाश)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-7/पद सृजन-15-06/2015सा०प्र०.1.5.2.1.4./पटना-15, दिनांक 14.10.15

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/विधि विभाग, बिहार, पटना/महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 26.09.2015 के मद संख्या-4 के प्रसंग में/संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश/संबंधित कोषागार पदाधिकारी एवं आईटी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/10/2015

सरकार के संयुक्त सचिव।

व्यय-विवरणी


संचिका संख्या-7/पद सृजन-15-06/2015

राज्य के व्यवहार न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के अनुश्रवण हेतु नियमित आधार पर विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) के 01 (एक) पद के सृजन पर होने वाले व्यय की विवरणी:-

क्र०	पदनाम/संवर्ग	पदों की संख्या	वेतनमान	औसत वेतन	वार्षिक (औसत वेतन X पदों की संख्या X 12)	मं० भत्ता@ 113%	योग (6 + 7)
1		3	4	5	6	7	8
1	विशेष कार्य पदाधिकारी (कम्प्यूटराइजेशन) सिविल जज (बरीय कोर्ट) या सिविल जज (कनीय कोर्ट) पाँच वर्ष के अनुभव के साथ	01	39530-920-40450-1080-49090-1230-54010	46,770/-	5,61,240/-	6,34,202/-	11,95,442/-
	कुल	01				योग	11,95,442/-

कुल वार्षिक व्यय का योग - 11,95,442/- (ग्यारह लाख पंचानवे हजार चार सौ बयालीस) रुपये मात्र।

नोट:- उपर्युक्त व्यय के अतिरिक्त समय-समय पर न्यायिक सेवा में नियमानुसार देय भत्ता भुगतान होगा।


 (अरुण प्रकाश)
 सरकार के संयुक्त सचिव।